


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, झंवर) सू.अ.अपील संख्या 168/2023</p>	<p>व.स. तारीख अधिकार जो इस हुक्म की निमित्त है क्या ही है</p>
<p>08.08.23</p>	<p>अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़ निवासी 79, हनवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलोनी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2023 में (1) पटवारी श्री विकास धायल पटवारी झंवर ने अपने कार्यकाल में गांव झंवर के कितने नामान्तरण भरे गये, समस्त नामान्तरणों की फोटो प्रतियां (2) अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, झंवर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	<p>व.स. तारीख अधिकार जो इस हुक्म की निमित्त है क्या ही है</p>